

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा-माध्य/छाप्रोप्र/ए/60171/एस.सी-एस.टी/पू.मै/2017-18

दिनांक : 06/11/17

संशोधित अधिसूचना

राजस्थान राज्य में स्थित समस्त राजकीय एवं निजी मान्यता प्राप्त विद्यालयों में सत्र 2017-18 में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं से सम्पूर्ण औपचारिकताएं पूर्ण करते हुए विभिन्न पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं के अन्तर्गत आवेदन-पत्र आमंत्रण का कार्यक्रम जारी किया गया था। जिसमें निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:-

क्र. सं.	छात्रवृत्ति योजना का नाम	विद्यार्थी द्वारा संस्था प्रधान को आवेदन पत्र की प्रस्तुति	विद्यालय द्वारा समेकित विस्तृत प्रस्ताव जिशिअ को प्रस्तुति	जिशिअ द्वारा समेकित विस्तृत एवं संख्यात्मक प्रस्ताव निदेशालय को प्रस्तुति
(अ)	पूर्व मैट्रिक अनुसूचित जाति छात्रवृत्ति कक्षा 09 से 10	31.10.2017	03.11.2017	07.11.2017
(ब)	पूर्व मैट्रिक अनुसूचित जनजाति छात्रवृत्ति कक्षा 09 से 10	31.10.2017	03.11.2017	07.11.2017
(स)	पूर्व मैट्रिक अनुसूचित जाति छात्रवृत्ति कक्षा 03 से 08	31.10.2017	03.11.2017	07.11.2017
(द)	पूर्व मैट्रिक अनुसूचित जनजाति छात्रवृत्ति कक्षा 03 से 08	31.10.2017	03.11.2017	07.11.2017
(य)	पूर्व मैट्रिक अन्य पिछड़ा वर्ग छात्रवृत्ति कक्षा 03 से 10	31.10.2017	03.11.2017	07.11.2017
(र)	पूर्व मैट्रिक अन्य पिछड़ा वर्ग (विशेष समूह- एस.बी.सी.) छात्रवृत्ति कक्षा 03 से 10	31.10.2017	03.11.2017	07.11.2017
(ल)	सफाई से जुड़े और स्वास्थ्य के लिए जोखिम पूर्ण व्यवसाय में लगे व्यक्तियों के बच्चों के लिए पूर्व-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना	31.10.2017	03.11.2017	07.11.2017

उपरोक्त समस्त छात्रवृत्ति योजनाओं के सम्बन्ध में विस्तृत दिशानिर्देश, पात्रता एवं शर्तें, छात्रवृत्ति की दरें आदि यथावत रहेंगे। उक्त विवरण शिक्षा विभाग की वेबसाइट education.rajasthan.gov.in/secondary के Scholarship Tab पर उपलब्ध है।

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालयों से यह अपेक्षा है कि निर्धारित कार्यक्रम के अनुरूप समस्त कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें। इस समयावधि के पश्चात् किसी भी स्थिति में अंतिम तिथि बढ़ाया जाना संभव नहीं होगा। निर्धारित समयावधि में छात्रवृत्ति के संख्यात्मक एवं विस्तृत प्रस्ताव प्राप्त न होने पर यदि कोई विद्यार्थी छात्रवृत्ति पाने से वंचित रहता है तो सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी एवं संस्थाप्रधान का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाकर विभागीय कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।


(नथमल डिंडेल)


IAS

निदेशक,

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

प्रतिलिपि :-

1. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक प्रथम/द्वितीय को पालनार्थ।
2. समस्त मण्डल उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा को प्रभावी प्रबोधन हेतु।
3. निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर को प्रेषित करते हुए लेख है कि आवश्यक रूप से अपने विभाग के समस्त प्रस्ताव समेकित कर दिनांक 09.11.2017 तक आवश्यक रूप से इस कार्यालय को उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें।
4. निदेशक, संस्कृत शिक्षा, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित करते हुए लेख है कि आवश्यक रूप से अपने विभाग के समस्त प्रस्तावसमेकित कर दिनांक 09.11.2017 तक आवश्यक रूप से इस कार्यालय को उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें।
5. अनुभाग अधिकारी, कम्प्यूटर, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने बाबत।


प्रभारी अधिकारी (छात्रवृत्ति)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर